शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 21 – 28 जुलाई 2025 मूल्य पांच रूपये

देशराज की जमानत याचिका में किरण नेगी का पक्ष बनना बड़ा मोड़ है

अब किरण नेगी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है

शिमला/शैल। पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर स्व. विमल नेगी की मौत के प्रकरण की जांच प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर सी.बी.आई. के पास जा चुकी है। सी.बी.आई. को यह जांच स्व. विमल नेगी की धर्मपत्नी किरण नेगी के आग्रह पर सौंपी गयी थी। क्योंकि स्व. विमल नेगी के अपने कार्यालय से गुम होने से लेकर उनका शव बरामद होने तक और उसके बाद भी जिस तरह का आचरण प्रदेश सरकार और उसकी जांच एजैंसीयों का रहा उससे असंतुष्ट होने पर श्रीमती किरण नेगी ने प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और तब यह जांच सी.बी.आई. को सौंपी गयी थी। लेकिन सी.बी.आई. भी अभी तक इस प्रकरण में कुछ ठोस सामने नहीं ला पायी है। सी. बी.आई. ने दो बार प्रदेश उच्च न्यायालय में कुछ ठोस सामने लाने के लिये समय मांगा है। इस मामले में किरण नेगी ने जिन अधिकारियों पर विमल नेगी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाये थे और इस पर एक तरह का जनाक्रोष भी उभरा था वह दोनों लोग अभी तक अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं। हरिकेश मीणा को प्रदेश उच्च न्यायालय से और देशराज को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानते मिली हुई हैं। देशराज को जब सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली थी तब प्रदेश की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उसका विरोध करने के लिये कोई भी पेश नहीं हुआ था। जबकि इन दोनों अधिकारियों को जनाक्रोष के चलते सरकार ने सस्पेंड तक कर दिया था और अब इन दोनों को बहाल करके पोस्टिंगज दे दी गयी है। इस परिदृश्य में यह मामला एक ऐसा प्रकरण बन चुका है जिस पर सबकी नजरें भी लगी हुई हैं। इसलिये अब जब 22 तारीख को देशराज की अग्रिम जमानत का मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आया तब किरण नेगी का वकील भी इसमें शामिल होकर नियमित पक्ष बन गया है।

स्मरणीय है कि स्व. विमल नेगी के अपने कार्यालय से गुम होने से लेकर उनका शव बरामद होने पर ही किरण नेगी द्वारा प्रदेश की जांच एजैंसीयों द्वारा की गयी कारवाई से असंतुष्ट होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर जो कुछ कारवाई के नाम पर घटा है वह सब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर आ चुका है और सी.बी.आई. के लिये एक बुनियादी आधार बन चुका है। अब किरण नेगी उस रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है। माना जा रहा है कि जब सारा रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आयेगा तब स्थितियां बहुत बदल जायेंगी। क्योंकि जो कुछ इस मामले में घट चुका है उसके मुताबिक जब विमल नेगी की गुमशुदी की शिकायत आयी और उस पर जो एस.आई.टी. गठित की गई उसमें ए.एस.आई. पंकज सदस्य नहीं था। जब नेगी का शव बरामद हुआ और दूसरी एस.आई.टी. गठित हुई उसमें ए.एस.आई. का नाम नहीं था। लेकिन शव के पास पहुंचने वाला वह पहला व्यक्ति है। यही नहीं उसी ने स्व. विमल नेगी का पेन ड्राइव निकाला और उसको फारमेट किया। इसी दौरान वह किसी से बातचीत भी करता है। यह सब डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है। ए.एस.आई. पंकज किसके ने निर्देश पर शव के पास पहुंचा? उसने पेन ड्राइव निकालकर किसके कहने से उसे फारमेट किया? किसके साथ वह संवाद कर रहा था। यह सब इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय बिन्दु बन चुका है। जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आयेगी तब तक पूरी जांच पर भरोसा ही नहीं बन पायेगा।

फिर इसी प्रकरण में जब डी.जी.पी. की स्टेटस रिपोर्ट और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा एस.पी. शिमला की स्टेटस रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पहुंची और उन पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आधिकारिक क्षेत्रों से उभरी उनसे पूरे प्रकरण की गंभीरता ही बदल गयी। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के परिदृश्य में यह जांच सी.बी.आई. में पहुंची है। अब जब देशराज की जमानत के मामले में किरण नेगी सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर पक्ष बन गयी है तब उनके पास इस सबको सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना आसान हो जायेगा। क्योंकि अतिरिक्त मुख्य

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या हिमाचल कांग्रेस हाईकमान की सूची से गायब हो गया है?

शिमला/शैल। क्या हिमाचल को कांग्रेस हाईकमान ने अपनी सूची से खारिज कर दिया है? यह सवाल इसलिये उठने लगा है कि प्रदेश कांग्रेस की राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणीयां जो पिछले वर्ष नवम्बर में भंग कर दी गयी थी उनका पुनर्गठन अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में इस वर्ष के अन्त में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों की तैयारी कांग्रेस संगठन के तौर पर कैसे और कब कर पायेगी यह सवाल हर कार्यकर्ता के दिमाग में उठने लगा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार इसलिये बन पायी थी क्योंकि पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान दस गारंटियां प्रदेश की जनता को दी थी। इन गारंटियों पर जमीन पर कितना काम हुआ है यह चुनाव उसकी परीक्षा प्रमाणित होंगे। इन गारंटियों में प्रतिवर्ष प्रदेश के युवाओं को एक लाख रोजगार उपलब्ध करवाने और 18 से 60 वर्ष की हर महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह देने पर प्रमुख थे। युवाओं को रोजगार का दावा कितना सफल हो पाया है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस दौरान प्रदेश में बेरोजगारी में 9 सितम्बर 2024 को विधानसभा में आये एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में 4% की वृद्धि हुई है और उद्योग पलायन करने लग गये हैं। महिलाओं को 1500 रूपये प्रति माह सिर्फ लाहौल स्पीति में ही मिल पाये हैं और जगह नहीं।

प्रदेश सरकार के फैसले भी अब जनता के गले नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि सरकार एक ओर तो कठिन वित्तीय स्थिति का हवाला देकर जनता पर करों का बोझ लगातार बढ़ाती जा रही है और दूसरी ओर इसी कठिन वित्तीय स्थिति में निगमों/बोर्डो के अध्यक्षों /उपाध्यक्षों/सदस्यों का मानदेय बढ़ा रही है। यह बढ़ौतरी भी आपदा काल में हुई है। शिमला से धर्मशाला रेरा कार्यालय को स्थानांतरित करना इसी कड़ी का एक और उदाहरण है। जिन कर्मचारियों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने की प्रमुख भूमिका अदा की थी वह सारे वर्ग आज एक बड़े कर्मचारी आन्दोलन के लिये तैयार हो रहे हैं। यह पिछले दिनों कर्मचारी संगठनों के आवाहन पर जूटे अलग-अलग संगठनों की

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले का किया विधिवत शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला–2025 का विधिवत रूप से शुभारंभ

किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अपने एक हजार वर्षों के गौरवमयी कालखंड का साक्षी जिला चंबा अपने नैसर्गिक सौंदर्य व समृद्ध लोक कला–संस्कृति के लिए जाना जाता है। अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने के साथ सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं।

शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेशवासियों को विजय के प्रतीक माने जाने वाले मिंजर मेला–2025 की शुभकामनाएं देते हुए लोगों को उनकी प्रसन्नता और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने लोगों से पारंपारिक लोक संस्कृति व सामाजिक सौहार्द को संरक्षित रखने का आहवान भी किया।

राज्यपाल ने नशीले एवं मादक पदार्थों के बढ़ते प्रचलन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस सामाजिक बुराई के खिलाफ सामूहिक जागरूकता पर बल देते हुए युवाओं को इस बुराई से दूर रहने का परामर्श दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलवाई गई। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान नशे जैसी सामाजिक बुराई का प्रभावी संदेश देने के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्यपाल ने इससे पहले भगवान श्री रघुवीर एवं श्री लक्ष्मी नारायण को मिंजर अर्पित की। उन्होंने पारंपरिक कूंजड़ी–मल्हार की मधुर स्वर लहरियों के साथ ध्वजारोहण कर मिंजर मेला–2025 का विधिवत शुभारंभ किया।

उन्होंने मिंजर मेला खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसमें गहरी रूचि दिखाई। शिव प्रताप शुक्ल ने संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जिला एवं उप–मंडल स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।

राज्यपाल को नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम नैय्यर ने मिंजर भेंट की।

शिव प्रताप शुक्ल को मिंजर मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सम्मानित किया।

राज्यपाल ने 'मिस्टिक विलेज' पुखरी की प्राकृतिक खूबसूरती व समृद्ध संस्कृति को सराहा

शिमला/शैल। राज्यपाल ने मिस्टिक विलेज खजियार (पुखरी) का दौरा किया तथा गांव की प्राकृतिक खूबसूरती व समृद्ध संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हुए। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ उपस्थित थीं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पुखरी गांव की प्राकृतिक सुन्दरता व स्वच्छ वातावरण पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के अन्य विख्यात पर्यटन क्षेत्रों की तुलना में कहीं बेहतर है। उन्होंने जिला प्रशासन चंबा तथा पर्यटन विभाग द्वारा जिला चंबा के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छ वातावरण तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रिस्पांसिबल टूरिज्म वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस गांव में पर्यटकों को ठहरने के लिए होमस्टे के तहत उचित व्यवस्था है तथा यहां का प्राकृतिक व शुद्ध वातावरण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से खूबसूरत गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल ग्रामीण लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी, बल्कि इससे प्रदेश की समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के कोने–कोने तक पहुंचेगी।

राज्यपाल ने कहा कि मिस्टिक विलेज खजियार में आवाजाही की सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेते हुए यहां के लोगों की आर्थिक मजबूती का माध्यम बन सकें। उन्होंने आश्वासन दिया की मिस्टिक विलेज खजियार में पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आवाजाही की सुविधा को और बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार व केंद्रीय वन मंत्रालय के ध्यान में इस क्षेत्र की समस्या को लाया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों व मंचों से प्रदेश सरकार के ध्यान में भी ग्रामीण पर्यटन व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलपति शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर

मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की 50 वर्षों से अधिक की गौरवशाली विरासत और शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है बल्कि यह नैतिक मूल्यों, नवाचार और चरित्र निर्माण का केंद्र है। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और अनुसंधान व नवाचार पर विशेष ध्यान की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक समय यह संस्थान केवल 8 विभागों के साथ शुरू हुआ था, वहीं आज इसमें 52 विभाग हैं और जहां 7000 से अधिक विद्यार्थी व 1100 से अधिक शोधार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित पांच नए बहुविषयक अनुसंधान और नवाचार केंद्रों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, आधुनिक और परिणामोन्मुखी बनाना है और विश्वविद्यालय को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीति, विज्ञान, कानून, साहित्य और खेल सहित अन्य क्षेत्रों में कई प्रसिद्ध हस्तियां इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। उन्होंने सभी से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की छात्र पत्रिका परिसंवाद, जर्नल हिमशिखर और नशा विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के समग्र विकास और नए बहुविषयक केंद्रों के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को शिक्षा का भविष्य बताया।

कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित हुआ।

विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव और एनआईडीएम की ओर से कर्नल मनोरम यादव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय में हाल ही में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की भी जानकारी दी गई। इनमें ग्रीन एनर्जी और नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर, हिमालयन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलिएंस सेंटर, साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, रामानुजन भारतीय ज्ञान प्रणाली एवं गणित केंद्र और पहाड़ी संस्कृति एवं धरोहर केंद्र शामिल हैं।

निदेशक राजीव गांधी कैंसर अस्पताल डॉ. सुमित गोयल दिल्ली ने भी इस अवसर पर संबोधित किया और कैंसर उन्मूलन के तरीकों पर प्रकाश डाला।

राज्यपाल की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में चंबा के बचत भवन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आकांक्षी जिला चंबा तथा आकांक्षी विकास खंड तीसा व पांगी के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं से संबंधित उपलब्धियों व कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित विकास पहलुओं के मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला चंबा को आकांक्षी जिला की श्रेणी से बाहर लाना है ताकि जिला चंबा राज्य के अन्य जिलों की तरह विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा तथा अन्य संकेतकों में सुधार के लिए जिला के जन प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों तथा संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा से आकांक्षी जिला व विकास खंडों से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतकों में सुधार किया जा सकता है।

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक नीरज नैयर तथा डॉ.हंस राज ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतकों में सुधार लाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आकांक्षी जिला होने के नाते चंबा जिले के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का विशेष प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि के परिवर्तन हेतु अनुमति के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की राशि को राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वृद्धि करने का सुझाव दिया।

बैठक में नीरज नैयर ने आकांक्षी जिला चंबा को केंद्र सरकार की ओर से विकास के लिए विशेष महत्त्व व निर्धारित नियमों में रियायत देने का सुझाव दिया। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के दूसरे चरण के निर्माण के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए।

डॉ. हंस राज ने जिला की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संबंधी आवश्यकताओं बारे सुझाव दिए।

इस अवसर पर जिला चंबा में रिसपोंसिबल टूरिज़्म के बारे में भी चर्चा की गई तथा अन्य राज्यों से आए विशेषज्ञों ने अनुभव सांझा करते हुए बहुमूल्य सुझाव दिए।

बैठक में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देशों व मार्गदर्शन का शत– प्रतिशत अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में विधायक डी.एस. ठाकुर, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बहु–क्षेत्रीय केंद्रीय टीम राज्य में आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारणों की करेगी जांच

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि और इनके कारणों की जांच के लिए गठित एक बहु–क्षेत्रीय केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से भेंट की। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कर्नल के.पी. सिंह के नेतृत्व में आई टीम को बताया कि राज्य में बादल फटने, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), भूस्खलन और मूसलाधार बारिश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन आपदाओं से जन–जीवन, बुनियादी ढांचे को नुकसान के साथ–साथ आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और इनकी तीव्रता व प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। आपदा प्रभावितों का जनजीवन प्रभावित होता है। सामाजिक ढांचे और राज्य के समग्र विकास पर दीर्घकालिक असर पड़ता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के सामने आपदाओं, राहत कार्यों और पुनर्वास को लेकर अलग और गंभीर चुनौतियां होती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि इन आपदाओं के कारणों की गहराई से जांच हो ताकि जान–माल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और भविष्य के लिए बेहतर तैयारियां की जा सकें।

राज्य और केंद्र सरकार को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर समाधान सुझाने के लिए गठित इस केंद्रीय टीम में सीएसआईआर–सीबीआरआई (रुड़की) के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एस. के. नेगी, मणिपुर विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त भू वैज्ञानिक प्रो. अरुण कुमार, आईआईटीएम (पुणे) की रिसर्च साइंटिस्ट डॉ.सुस्मिता जोसफ और आईआई टी इंदौर की सिविल इंजीनियरिंग प्रो. डॉ. नीलिमा सत्यम शामिल हैं। स्थिति की गंभीरता के दृष्टिगत केंद्रीय दल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। यह दल एक सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

बोस्टन में एनसीएसएल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे उप–मुख्य सचेतक एवं विधायकगण

शिमला/शैल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 4 अगस्त से 6 अगस्त, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में आयोजित होने वाले एनसीएसएल विधायी शिखर सम्मेलन–2025 में भाग लेने के लिए उप–मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और विधायक संजय अवस्थी, दीप राज और विनोद सुल्तानपुरी को मनोनीत किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्ज (एनसीएसएल) और नेशनल लेजिस्लेचर्ज कॉन्फ्रेंस भारत (एनएलसी भारत) द्वारा किया जा रहा है।

इस वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से विश्वभर के विधायकों, नीति–निर्माताओं और संसदीय विशेषज्ञों को एक मंच पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिलेगा। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से सुशासन, नीति–निर्माण, नवाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार– विमर्श के अलावा विभिन्न विषयों को जानने व समझने में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए यह गौरवशाली अवसर है जो राज्य की विधायी दक्षता और सक्रिय भागीदारी को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा।

बदलाव का प्रतीक बने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि इस विश्वविद्यालय ने युवाओं को ज्ञान प्रदान करने के 55 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का भी प्रतिबिंब है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने देश और प्रदेश को ऐसे मेधावी छात्र दिए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके हैं और विश्वभर में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं तथा उनके जीवन की दिशा तय करने, विचारों को आकार देने और व्यक्तित्व के विकास में इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका रही है। सुक्खू ने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के इस युग में हमें भी समय के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम बदलाव के साथ नहीं चले, तो हम पिछड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए विश्वविद्यालय को बदलाव का एक सशक्त प्रतीक बनना चाहिए, जहां न केवल शैक्षणिक पाठयक्रमों को आधुनिक बनाया जाए, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणालियों में भी सुधार हो। बदलते समय के साथ विश्वविद्यालय को पाठयक्रम बनाने, बदलने और समय-समय पर उसमें नयापन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को आसान और लचीला बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बाज़ार में जिन विषयों एवं कौशल की मांग है उनके अनुसार नए कोर्स शुरू करना और समय के अनुसार अनुपयोगी कोर्स बंद करके नए कोर्स चलाने के लचीलेपन को अपनाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विश्वविद्यालय से निकलने वाले युवा न केवल डिग्रीधारी हों, बल्कि वे कौशलयुक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हों। इसी दिशा में आज खुल रहे पांच नए शोध केंद्र एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने इस पहल के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसे बदलाव आगे भी निरंतर होते रहेंगे और विश्वविद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

उन्होंने विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ का आपदा प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन से अंशदान देने के निर्णय के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया।

स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी स्वास्थ्य कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि

शिमला/शैल। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने के दृष्टिगत में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ऑपरेशन थियेटर सहायकों का मासिक मानदेय 7180 रुपये बढ़ाकर 17820 रुपये से 25000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियन का मानदेय लगभग दोगुना कर दिया गया है। अब इन्हें भी प्रति माह 25000 रुपये मानदेय मिलेगा, जो पहले 13100 रुपये था, इनके मानदेय में 11,900 रुपये की बढ़ौतरी की गई है।

प्रदेश में ऑपरेशन थियेटर सहायकों के 382 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 226 पद रिक्त हैं, जबकि रेडियोग्राफर एवं एक्स-रे तकनीशियनों के 282 स्वीकृत पदों में से 129 पद रिक्त हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के तकनीकी स्टाफ को बेहतर मानदेय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जिसे प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूरी प्रदान की गयी।

सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य विभाग को वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने में मदद मिलेगी। इस निर्णय के भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सीटें बहुत कम थीं। अब राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और कांगड़ा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में तकनीशियन कोर्स की सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है।

सरकार द्वारा आई.जी.एम.सी. शिमला में बी.एससी. मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीक, बी.एससी. रेडियो एंड इमेजिंग, बी.एससी. एनेस्थीसिया व ओ.टी. टेक्नीक कोर्स की सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गई हैं। इसी तरह डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में बी.एससी. मेडिकल लैब टेक्नीक, बी.एससी. रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, बी.एससी. एनेस्थीसिया व ओ.टी. टेक्नीक कोर्स की सीटें 18 से बढ़ाकर 50 की गई हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिलेंगे।

आईबीसीए ने त्साराप-चू संरक्षण रिजर्व प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री को तीन करोड़ रुपये का चेक भेंट किया

शिमला/शैल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की टीम

ने सुमित्र दास गुप्ता के नेतृत्व में नव अधिसूचित त्साराप चू संरक्षण रिज़र्व के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को तीन करोड़ रुपये का चेक सहायता राशि के रूप में भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए आईबीसीए का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि संरक्षण रिज़र्व की प्रबंधन योजना तैयार करने, प्रबंधन समिति के गठन और संबंधित हितधारकों के क्षमता निर्माण जैसी प्रारंभिक संरक्षण गतिविधियों को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहयोग सामुदायिक भागीदारी से चलने वाले वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देगा और स्थानीय लोगों के लिए पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से आजीविका के अवसर भी सृजित करेगा।

मुख्यमंत्री ने वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह के दौरान की गई घोषणा के बाद, त्साराप-चू को 7 मई, 2025 को औपचारिक रूप से भारत के सबसे बड़े संरक्षण अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया था। यह रिजर्व 1,585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण में कब्जिमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य तथा बारालाचा दर्रा स्थित है।

त्साराप चू संरक्षण रिज़र्व हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुए के उच्च-घनत्व वाले आवास स्थलों में से एक है। यह हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का भी आश्रय है, जिसमें तिब्बती भेड़िया, कियांग, भराल, आइबेक्स, तिब्बती अर्गली जैसी प्रजातियां और रोज़ फ़िंच, तिब्बती कौवे और पीली-चोंच वाले चफ़ जैसे पक्षी शामिल हैं। यह रिज़र्व चराप नाले के जलग्रहण क्षेत्र में आता है और किब्बर व चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि त्साराप-चू अब देश का सबसे बड़ा संरक्षण रिज़र्व है। इस रिज़र्व से इको-टूरिज्म, प्राकृतिक फोटोग्राफी, कैंपिंग और वन्यजीव अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय लोगों को भी आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे। इस रिज़र्व का प्रबंधन एक संरक्षण रिज़र्व प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि समावेशी और समुदाय-आधारित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और पारिस्थितिक लक्ष्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सके।

आईबीसीए, 96 रेंज और नॉन-रेंज देशों का एक गठबंधन है, जो दुनिया भर में बाघ, शेर, तेंदुए और हिम तेंदुए सहित सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर केंद्रित है। इस गठबंधन ने हिमाचल प्रदेश जैसे उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत और विस्तारित करने में विशेष रुचि दिखाई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव-सह-मुख्य वन्यजीव वार्डन अमिताभ गौतम भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

दो वर्ष बाद नियमित होंगे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी

शिमला/शैल। सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि नई ट्रेनी पॉलिसी का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले, अनुबन्ध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एड-हॉक और उस समय की सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की यह अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही है। इस नई नीति का उद्देश्य एड-हॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को दो वर्ष के बाद नियमित करना है। यही इस नीति का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में दो वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस नीति के बारे में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल के युवाओं की नियमित भर्ती का जो स्रोत अग्निवीर योजना में था, वह पूरी तरह से बंद कैसे हो गया है? साथ ही वे यह भी बताएं कि उन युवाओं के भविष्य को लेकर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें 23 वर्ष की उम्र में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि यह नीति युवाओं के हित में तैयार की गई है और इसके अधिकतर प्रावधान पुरानी अनुबंध नीति के अनुरूप ही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व की कॉन्ट्रेक्ट पॉलिसी में भी कर्मचारियों को दो वर्षों तक अनुबंध पर रखा जाता था और नई पॉलिसी में भी प्रशिक्षु दो वर्षों की ट्रेनिंग पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत दो वर्ष की ट्रेनिंग अवधि के बाद एक सामान्य विभागीय परीक्षा लेने का प्रावधान है, जिसके बारे में जल्द ही कार्मिक विभाग स्थिति स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित होंगे, उन्हें दो वर्ष के बाद नियमित किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि पुरानी कॉन्ट्रेक्ट पॉलिसी में कई व्यावहारिक खामियां थीं, जिनके चलते कर्मचारियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कई मामले न्यायालयों में लंबित हो जाते थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई, 2025 को नई ट्रेनी पॉलिसी जारी की है। नई पॉलिसी के तहत नियुक्त प्रशिक्षु दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभागीय कार्यों को सीखेंगे और प्रशिक्षण के उपरांत वे विभागीय कामकाज को अधिक दक्षता और प्रभावशाली ढंग से निभा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने बनखंडी अरण्य वन्य प्राणी उद्यान के प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर तक पूरा करने निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वन विभाग को कांगड़ा जिले के उप-मंडल स्थित दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य हर हाल में दिसम्बर, 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस उद्यान में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कांगड़ा जिले में पर्यटन का मुख्य आकर्षण का मुख्य केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्यान में तीन पार्किंग स्थल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट तथा पर्यटकों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह उद्यान 233 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा जिसमें शेर व बाघ सफारी के साथ-साथ विभिन्न वन्य प्राणियों, सरीसृपों और पक्षियों के लिए विशेष बाड़े बनाए जाएंगे।

सुक्खू ने अस्पताल व प्रशासनिक भवन, दूसरी पार्किंग, ऑपरेशन थियेटर और डायग्नोस्टिक भवन, क्वारंटीन क्षेत्र, कमिशरी क्षेत्र, शौचालय ब्लॉक और भूमिगत जल टैंकों से संबंधित निविदाएं शीघ्र आमंत्रित करने के भी निदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए वन विभाग को परियोजना को आकर्षक बनाने के लिए ईको टूरिज्म गतिविधियों, तारामंडल (प्लैनेटोरियम), रॉक क्लाइम्बिंग व बोटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को शामिल करने को कहा। उन्होंने स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपने पर भी बल दिया ताकि पार्क की सुन्दरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाया जा सके और अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्राणी उद्यान देश का पहला ऐसा उद्यान है जिसे भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) से सतत और पर्यावरण अनुकूल पहल के लिए प्रमाणन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस उद्यान में एक मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी स्थापित की जाएगी जिसे यहां ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी।

इस अवसर पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू, बायो कंजर्वेशन सोसायटी ने आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष में पांच-पांच लाख रुपये का अंशदान दिया। इसके अलावा बायो कंजर्वेशन सोसायटी खजियार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत ने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष और आपदा राहत कोष के लिए 5.50 लाख रुपये का चैक भेंट किया।

राखिल काहलों ने नागरिक-अनुकूल डिजिटल तकनीक अपनाने पर बल दिया

शिमला/शैल। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग के सहयोग से शिमला स्थित आईटी भवन में 'अवेयरनेस एण्ड सेंसेटाइजेशन ऑन यूजर एक्सपीरियंस एण्ड डिजाइन सिस्टम' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग राखिल काहलों ने कार्यशाला का शुभारम्भ किया। उन्होंने समावेशी, कुशल और नागरिक-अनुकूल डिजिटल सेवा वितरण सुनिश्चित करने में उपयोगकर्ता अनुभव और उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

निदेशक डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग डॉ. निपुण जिंदल ने कार्यशाला की अध्यक्षता की और नागरिकों को सेवाओं की स्वयं पहल सुनिश्चित करने को सक्षम बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर सर्वोत्तम यूएक्स/यूआई प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विभिन्न सरकारी विभागों के लगभग 80 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

बुद्धिमान लोग काम करने से पूर्व सोचते हैं और मूर्ख लोग काम करने के बाद ।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या एक और संवैधानिक पद की हत्या है धनखड़ के साथ हुआ व्यवहार?

संसद सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के सभापति और देश के उप–राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुये अपने पद से जैसे ही त्यागपत्र देने की घोषणा की तो सब चौंक गये थे कि अचानक क्या हो गया। लेकिन जैसे ही इस त्यागपत्र की परतें खुलकर यह सामने आया कि त्यागपत्र दिया नहीं है बल्कि लिया गया है तो सारे देश की नजरें इस पर आ गयी हैं कि आखिर उप–राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें तुरन्त प्रभाव से अपना पद छोड़ने के लिये बाध्य किया गया। देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उप–राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। इस त्यागपत्र के बाद जिस तरह का राजनीतिक व्यवहार जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है उससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि उन्हें पूरी तरह अपमानित किया गया है। इस अपमान के कारणों का खुलासा प्रधानमंत्री स्वयंम् या उनका कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे में यह देश का हक बनता है कि उसे वास्तविक कारणों की जानकारी दी जाये क्योंकि यह देश से जुड़ा सवाल है। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के साथ ऐसा आचरण हो जाये और उसके कारणों की जानकारी देश की जनता को न दी जाये तो इसे लोकतंत्र की कौन सी संज्ञा दी जायेगी? क्या देश में सही में लोकतंत्र खतरे में आ गया है? देश का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या किसी तानाशाह के इशारे पर चल रहा है? यदि प्रधानमंत्री यह देश के सामने स्पष्ट नहीं करते हैं तो इससे आने वाले समय के लिये अच्छे संकेत नहीं जायेंगे। यदि देश का उप–राष्ट्रपति ही सुरक्षित नहीं है तो और कौन हो सकता है? यदि उप–राष्ट्रपति ने देश हित के खिलाफ कोई अपराध कर दिया है तब तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वह अपराध जल्द से जल्द देश के सामने लाया जाये। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि यह कृत्य संवैधानिक पद की सुनियोजित हत्या है।

उप–राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद इसी संसद सत्र में इस पर चुनाव करवाया जायेगा। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में लग गया है। चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभाओं के चुनावों में जिस कदर विवादित हो चुका है और बिहार विधान सभा चुनावों की तैयारीयों में जिस तरह से मतदाता सूचियों के विशेष संघन निरीक्षण SIR पर विपक्ष सवाल उठाता जा रहा है और सत्ता पक्ष तथा चुनाव आयोग अपने को सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा मानकर चल रहा है वह सही में लोकतंत्र के लिये एक बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग और सरकार के रुख को उप–राष्ट्रपति पद के साथ हुए आचरण के साथ यदि जोड़कर देखा जाये तो तस्वीर बहुत भयानक हो जाती है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को यह सोच कर चलना होगा कि यदि उनका आचरण पद की मर्यादा के अनुसार नहीं होगा तो जनता को स्वयं सड़कों पर उतरना होगा। हम बच्चों को राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति के पदों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ाते हैं। क्या किसी व्यवस्था में यदि इन पदों की जलालत पढ़ानी पड़े तो क्या पढ़ाएंगे। इन पदों पर बैठे हुए लोगों को भी अपनी गरिमा और मर्यादा की स्वयं रक्षा करनी होगी।

इस समय केन्द्र सरकार अकेली भाजपा की नहीं है उसके सहयोगी दल भी हैं। सहयोगी दलों में अपने–अपने वर्चस्व के सवाल उठने लग पड़े हैं। ऐसे में जिस तरह का आचरण जगदीप धनखड़ के साथ सामने आया है वह एन.डी.ए. के घटक दलों के लिये भी एक बड़ी चेतावनी प्रमाणित होगी। यदि बिहार विधानसभा चुनावों में किन्हीं कारणों से एन.डी.ए. की सरकार नहीं बन पाती है तो उसके बाद एन.डी.ए. का बिखरना शुरू हो जायेगा क्योंकि सब धनखड़ के साथ हुए व्यवहार को सामने रखेंगे।

वैश्विक संकट के इस क्षण में शांति के लिए सुल्लह व सह अस्तित्व हो सकता है बेहतर समाधान

गौतम चौधरी

वर्तमान दुनिया कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। मानवता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यही नहीं प्रकृति भी अपना विकट रूप दिखाने लगी है। स्वार्थी और आराम पसंद व्यक्तियों के द्वारा इन समस्याओं में बढ़ोतरी की जा रही है। सशस्त्र संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु आपदाएं, राजनीतिक दमन और सामाजिक विभाजन, आज के दौर की आम समस्या बनती जा रही है। ईरान, इजरायल के ग़ाज़ा और यूक्रेन में लड़े जा रहे युद्धों ने इस्लामोफोबिया, शरणार्थी संकट और नैतिक क्षरण को नए सिरे से परिभाषित करने को मजबूर कर दिया है। मानवता एक अराजकता के चक्र में उलझी हुई लगती है। इन मानवजनित त्राशदि के बीच, लोग न्याय, स्थिरता और शांति की तलाश में हैं। ऐसे कठिन समय में मार्गदर्शन का एक व्यापक स्रोत इस्लाम के सार्वभौमिक सिद्धांतों में ढुंढा जा सकता है।

इस्लाम, जिसका व्यापक अर्थ है 'शांति' और 'ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण', जीवन का एक पूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, जो सौहार्द, न्याय और करुणा को प्राथमिकता देता है। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ और पैगंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.) की शिक्षाएं न केवल मुसलमानों के लिए है, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए एक शांतिपूर्ण विश्व निर्माण की कालातीत बुद्धिमत्ता प्रदान करती हैं।

इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में बार–बार न्याय की महत्ता को दर्शाया गया है। 'ऐ ईमान लाने वालों! न्याय के लिए डटकर खड़े रहो और अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वह तुम्हारे अपने खिलाफ़ हो या माता–पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ़...।' युद्ध और अशांति के समय में इस्लाम बदले या अत्याचार की नहीं, बल्कि न्याय की बात करता है। यह सामूहिक सज़ा को निषिद्ध करता है और शत्रुओं के साथ भी न्यायपूर्ण व्यवहार की आज्ञा देता है। पैगंबर हजरत मुहम्मद (स.अ.) ने मक्का विजय के समय इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, जब उन्होंने अपने पुराने अत्याचारियों को माफ कर दिया, बदला नहीं लिया।

जीवन की पवित्रता इस्लाम की सबसे केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है। पवित्र ग्रंथ कहता है,

'जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, मानो उसने पूरी मानवता की हत्या की और जिसने किसी एक को बचाया, मानो उसने पूरी मानवता को बचाया।' पवित्र ग्रंथ का यह पवित्र श्लोक आतंकवाद, नरसंहार और अन्यायपूर्ण युद्धों के विरुद्ध इस्लाम के कड़े रुख को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। पैगंबर (स.अ.) ने युद्ध के दौरान आम नागरिकों, जानवरों और यहां तक कि पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाने से मना किया, जो कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों से बहुत पहले की इस्लाम की नैतिक शिक्षाओं में से हैं।

आज के समय में नस्ल, राष्ट्र और धन के आधार पर बढ़ते विभाजन वैश्विक शांति के लिए खतरा बन चुके हैं। इस्लाम भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। बरेलवी संप्रदाय के विद्वान मुफ्ती तुफैल खां कादरी साहब फरमाते हैं कि पैगंबर (स.अ.) ने अपनी विदाई हज के दौरान घोषणा की, 'किसी अरबी को गैर–अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है और न ही किसी गैर–अरबी को अरबी पर, सिवाय तक़वा (धार्मिकता) के।' इस्लाम नस्लभेद और लालच को खारिज करता है, जो आज के अधिकतर संघर्षों के मूल में है। इसके स्थान पर सम्मान और साझा मानवता पर आधारित आध्यात्मिक पहचान को इस्लाम में महत्व दिया गया है।

मुफ्ती साहब कहते हैं कि पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) को 'रहमतुल लिल आलमीन' संपूर्ण सृष्टि के लिए रहमत, कहा गया है। उनका जीवन करुणा से परिपूर्ण था। भूखों को खिलाना, बीमारों की देखभाल करना और अपने दुश्मनों को क्षमा करना, उनकी मूल प्रवृति थी। ऐसे समय में जब प्रतिशोध, घृणा और हिंसा का बोलबाला है, इस्लामी शिक्षाएं क्षमा और मेल–मिलाप की ओर हमें बुला रही है। पवित्र ग्रंथ का एक वाकया है कि ''जैसी चोट वैसी सज़ा दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई क्षमा कर दे और सुलह कर ले, तो उसका इनाम अल्लाह के जिम्मे है।''

आज के समय में गरीबी और असमानता भी अनेक संघर्षो का कारण हैं। इस्लाम इस समस्या को सुलझाने के लिए मज़बूत सामाजिक कल्याण प्रणालियां प्रस्तुत करता है, जैसे कि ज़कात (अनिवार्य दान) और सदक़ा (स्वैच्छिक दान)। ये केवल दया के कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी हैं, जिनका उद्देश्य निर्धनों को ऊपर उठाना और सामाजिक तनाव को कम करना है, ताकि संपत्ति का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।

इस्लाम का पवित्र ग्रंथ बार–बार इमान वालों से कहता है कि यदि शांति की ओर झुकाव दिखाया जाए, तो उसे स्वीकार करें, और यदि वे शांति की ओर झुकें, तो तुम भी झुको और अल्लाह पर भरोसा करो। चाहे राजनीतिक विरोधियों से हो या अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों से, इस्लाम आक्रामकता के बजाय संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देता है।

आज जिन वैश्विक संकटों का सामना किया जा रहा है, वे नैतिक विफलता, लालच और मानव गरिमा की अवहेलना के परिणाम हैं। इस्लामी शिक्षाएं, जो शांति, न्याय, करुणा और एकता पर आधारित हैं, एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती हैं, जिसमें सदभाव और सह–अस्तित्व की संभावना है। यदि इन्हें ईमानदारी से अंगीकार किया जाए तो एक बढ़िया विश्व की रचना खद व खदु सामने दिखने लगेगा। इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मानवता के महान और उच्चतर मूल्यों को अपनाकर दुनिया को बदला जा सकता है। इसमें सुल्लह एक बेहतर समाधान है।

ऐतिहासिक भारत–ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता–नए भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि

पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
भारत सरकार

भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के साथ–साथ रोज़गार के असंख्य अवसरों का सृजन करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप लोगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च–गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए), ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के मुक्त व्यापार समझौते और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य विकसित देशों के साथ इसी तरह के समझौतों के अनुरूप है। यह मोदी सरकार के विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के क्रम में आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को अधिकतम करने की रणनीति का एक हिस्सा है।

प्रधानमंत्री की रणनीति– वर्ष 2014 में, मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को पुन: स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई। विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करना, इस व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। एफटीए, व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितताओं को दूर करते हुए निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाते हैं।

विकसित देशों के साथ एफटीए, जिनके भारत के साथ प्रतिस्पर्धी व्यापारिक हित नहीं हैं, दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद है, जबकि पिछली सरकार ने भारत के दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने का रवैया अपनाया था।

यूपीए शासनकाल में, विकसित देशों ने भारत के साथ व्यापार वार्ता लगभग रोक दी थी और उस समय भारत को दुनिया की 'पांच कमजोर' अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014 से लगभग तीन गुना बढ़कर लगभग 331 लाख करोड़ रुपये हो गया है। क्रांतिकारी सुधारों, व्यापार में आसानी और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरने में सहायता की है। आज, दुनिया भारत की अद्भुत गाथा में भागीदारी के साथ–साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहती है।

बाजार पहुंच, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त– यह एफटीए ब्रिटेन के बाजार के सभी क्षेत्रों में भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह लगभग 99 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के टैरिफ को समाप्त करते हुए व्यापार मूल्य के लगभग 100 प्रतिशत को कवर करता है। इस समझौते के अंतर्गत 56 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार से सृजित होने वाले व्यापक अवसरों के वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है।

छोटे व्यवसाय समृद्ध होंगे, क्योंकि भारतीय उत्पादों को प्रतिद्वंद्वियों पर स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी। फुटबॉल, क्रिकेट उपकरण, रग्बी गेंदें और खिलौने बनाने वाली कंपनियों का ब्रिटेन में अपने कारोबार में उल्लेखनीय विस्तार होगा।

असंख्य रोज़गार– आकर्षक बाज़ार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त से निर्यात स्थायित्व के साथ–साथ निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। भारत वस्त्र, चमड़ा और जूते से जुड़े क्षेत्रों में ब्रिटेन को आपूर्ति करने वाले तीन प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनने की शानदार स्थिति में है और इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रमुख क्षमता के रूप में उभरने में सहायता मिलने के साथ ही यह छोटे व्यावसायियों, कारीगरों और महिलाओं को भी सहायता प्रदान करेगा।

रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि होने की आशा है।

किसान प्रथम– 95 प्रतिशत से अधिक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लगेगा, जिससे कृषि–निर्यात और ग्रामीण समृद्धि में तीव्र वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

शुल्क–मुक्त बाज़ार पहुंच से अगले तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2030 तक भारत के 100 अरब डॉलर के कृषि–निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देगा। यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश बाज़ार को खोल देगा, जो जर्मनी, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय संघ के देशों को मिलने वाले लाभों के बराबर या उससे भी अधिक होगा।

हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे आम का गूदा, अचार और दालों को भी शुल्क–मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। निर्यात बढ़ने से कृषि आय में वृद्धि होगी तथा गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कृषि मूल्य श्रृंखला में रोज़गार के असंख्य अवसर सृजित होंगे।

कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा–घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए एफटीए में भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। भारत ने डेयरी उत्पादों, सेब, जई और खाद्य तेलों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है।

ये रियायतें, मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमज़ोर कृषक समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को रेखांकित करती हैं।

मछुआरों का विकास–भारतीय मछुआरे, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु के मछुआरे, ब्रिटेन के समुद्री आयात बाजार तक पहुंच के माध्यम से उल्लेखनीय विस्तार का अनुभव करेंगे।

झींगा और अन्य समुद्री उत्पादों पर ब्रिटेन का आयात शुल्क वर्तमान 20 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा।

यह संभावना अभूतपूर्व है क्योंकि ब्रिटेन के 5.4 अरब डॉलर के समुद्री आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.25 प्रतिशत है।

सेवाएं और पेशेवर–यह समझौता आईटी/आईटीईएस, वित्तीय सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न सेवाओं को गति प्रदान करेगा और भारतीयों के लिए नवीन अवसरों का सजृन करेगा। इस समझौते में संविदा सेवा प्रदाता, व्यावसायिक यात्री, निवेशक, योग प्रशिक्षक, संगीतकार और रसोइये सहित कुशल पेशेवरों के लिए भारत ने अनुकूल गतिशीलता प्रावधान सुनिश्चित किए हैं।

अभिनव एफटीए–प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत के एफटीए में वस्तुओं और सेवाओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। इस एफटीए ने नए मानक स्थापित किए हैं। इस ईएफटीए के साथ, भारत ने 100 अरब डॉलर के निवेश की बाध्यकारी प्रतिबद्धता हासिल की है, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ऑस्ट्रेलिया के एफटीए के साथ, भारत ने दोहरे कराधान के मुद्दे का समाधान किया, जो आईटी कंपनियों के लिए एक बाधा बना हुआ था।

इस एफटीए का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोहरा अंशदान समझौता है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं और अस्थायी भारतीय कर्मचारियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं–व्यापार समझौते प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च–गुणवत्ता युक्त वस्तुएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मोदी सरकार ने गुणवत्ता को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान किया है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर वार्तालाप किया है।

सरकार ने किसी भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक हितधारक परामर्श किया है। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि उद्योग निकायों ने मोदी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रत्येक मुक्त व्यापार समझौते का भारी समर्थन और स्वागत किया गया है।

सीईटीए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों के लिए एक मानक है। यह हमारे मूल हितों से समझौता किए बिना, वंचित समुदायों के लिए आकर्षक वैश्विक अवसरों के द्वार खोलता है। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि नया भारत व्यापार किस प्रकार करता है।

सरकार नवोन्मेषी पहलों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का कर रही आधुनिकीकरण

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, बागबानी जैसे सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा को एक प्रगतिशील समाज का आधार मानते हुए राज्य सरकार ने चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, टांडा और इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला और अटल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा (एआईएमएसएस) के डॉक्टरों और अन्य संकाय सदस्यों के साथ गहन चर्चा की। उन्होंने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की समीक्षा की और स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और उपकरणों के बारे में चर्चा की।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी आरम्भ की जा रही है। रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीन अटल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा शिमला में स्थापित हो चुकी हैं और सरकार जल्द ही मशीनों के सुचारू संचालन के लिए विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भतह्न करेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थान जल्द ही आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। सरकार सीटी स्कैन, एक्स–रे यूनिट, अल्ट्रासाउंड मशीन, फेको सिस्टम और अन्य नैदानिक उपकरणों सहित अत्याधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम के तहत, सरकार ने दो दशकों से अधिक समय से इस्तेमाल हो रहे पुराने स्वास्थ्य उपकरणों को बदलने का भी फैसला किया है, जिनमें पुरानी एमआरआई और एक्स–रे मशीनें आदि शामिल हैं। पिछले 18–20 वर्षों से इस्तेमाल हो रहे उपकरणों को भारत के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों, जैसे एम्स, दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़, द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के समान अत्याधुनिक मशीनों से बदला जाएगा।

इन उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार ने पर्याप्त बजट प्रावधान किए हैं। प्रवक्ता ने कहा, सरकार 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें क्रय कर रही है जो दिल्ली के एम्स में इस्तेमाल की जा रही मशीनों के समान हैं। अस्पताल में स्थापित एमआरआई मशीने लगभग दो दशक पुरानी है जबकि श्री टेस्ला एमआरआई मशीनों के परिणाम त्वरित और बेहतर रेजोल्यूशन और इमेज गुणवत्ता के हैं।

सरकार का उद्देश्य राज्य के लोगों, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, जिनकी लंबे समय से निदान और उपचार सुविधाओं तक सीमित पहुंच है, समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करवाना है।

इससे पूर्व, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधओं के बुनियादी ढांचे में कमी के कारण, मरीजों को बेहतर निदान और उपचार विकल्पों की तलाश में पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान सरकार ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार करने आरम्भ किए हैं बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि उपकरणों के उन्नयन के अलावा, राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की हैं। सरकार के भर्ती प्रयासों के परिणामस्वरूप 185 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों, 130 स्टाफ नर्सों, 67 लैब तकनीशियनों, 45 फार्मासिस्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और विभिन्न स्वास्थ्य सेवा श्रेणियों में 491 नए पद सृजित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए 1,730 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा तंत्र मजबूत होगा और यह सुनिश्चित होगा कि नई मशीनें और तकनीक से आमजन लाभान्वित हों।

सरकार ने बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी, रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग तथा एनेस्थीसिया एवं ओटी तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईजीएमसी शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी है तथा मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या 18 से बढ़ाकर 50 कर दी हैं, जिससे हिमाचली युवाओं को राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करने के अधिक अवसर सुनिश्चित होंगे।

सरकार ने आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और एआईएमएसएस चमियाणा में स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने कहा, सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान के लिए 25–25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

वंचितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने हिमकेयर योजना को और सुदृढ़ किया है। योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में अब तक 5.80 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं जिनके मुफ़्त इलाज पर सरकार लगभग 810 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह योजना उन लोगों की सहायता पर केंद्रित है जिनके पास संसाधनों की कमी है, जिनमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनाथ, एकल महिलाएं, विधवाएं, बच्चे और कई अन्य वर्ग शामिल हैं। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक पहुंचे। इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, हिमकेयर कार्ड अब तिमाही आधार पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में जारी किए जाएंगे। हालांकि, समय पर स्वास्थ्य सेवा के महत्व को समझते हुए, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों और चिकित्सा अधीक्षकों को वित्तीय स्थिति, बीमारी की गंभीरता या अन्य जायज कारणों के आधार पर, विशेष मामलों में किसी भी समय कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया है। प्रत्येक कार्ड एक वर्ष के लिए वैध रहता है। समय पर नवीनीकरण की सुविधा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन पोर्टल तिमाही आधार पर एक महीने के लिए खुलेगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर लोगों के लिए चिकित्सा देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है तथा योजना में लाभार्थियों का समय पर पंजीकरण और नवीनीकरण करना है।

सरकार का लक्ष्य बिना किसी वित्तीय कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करना है। इन नवीन पहलों के साथ, हिमाचल प्रदेश एक मजबूत और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है जो आत्मनिर्भर, सुलभ और रोगी–केंद्रित हो। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता में एक आदर्श राज्य और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है।

प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर व्यय किए जा रहे हैं 550 करोड़ रुपये: मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों, प्राचीन मंदिरों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण व विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाषा, कला और संस्कृति विभाग का जिम्मा सम्भाल रहे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 550 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि प्राचीन मंदिरों, किलों और पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत की गई है। इसमें से राज्य के अधिगृहीत मंदिरों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 37 करोड़ रुपये का सहायतानुदान प्रदान किया गया है।

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 8 अगस्त, 2023 से सुगम दर्शन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे प्रभावी भीड़ प्रबंधन सहित वृद्धजनों और दिव्यांगों को विशेष सुविधा प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसी व्यवस्थाएं प्रदेश के अन्य मंदिर न्यासों में भी लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा 250 करोड़ रुपये से माता‌रानी के भव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने माता श्री ज्वालाजी और माता श्री नैना देवी मंदिरों के लिए भी 100-100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

पूजा विधि एवं मंत्रोच्चारण में शुद्धता लाने के लिए 5 से 25 फरवरी 2025 तक श्री चिंतपूर्णी मंदिर के 15 तथा माता श्री नैना देवी मंदिर के 10 पुजारियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भविष्य में अन्य मंदिर न्यासों के पुजारियों को भी चरणबद्ध तरीके से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक धरोहरों के अनुरक्षण के लिए 11.16 करोड़ रुपये तथा आवर्ती निधि योजना के अंतर्गत धार्मिक संस्थानों को वार्षिक पूजा-अर्चना और परिसंपत्तियों के विकास हेतु 1 करोड़ रुपये का सहायतानुदान भी स्वीकृत किया गया है। वहीं, प्रदेश के छोटे मंदिरों को मिलने वाली धूप-बत्ती सहायता राशि को वित्त वर्ष 2025-26 में दोगुना कर दिया गया है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। हम आस्था के केंद्रों को केवल संरचनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के रूप में संरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, पारंपरिक पूजा पद्धति में गुणवत्ता लाई जाए और मंदिरों को डिजिटल व व्यवस्थित बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देशभर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित व प्रसारित किया जाए। इसके लिए सांस्कृतिक उत्सवों, डिजिटल प्लेटफार्मों, दस्तावेजीकरण और प्रदर्शनियों के माध्यम से हिमाचल की लोक कलाओं, पारंपरिक संगीत, शिल्प और रीति-रिवाजों को साझा किया जाएगा। इससे न केवल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा, बल्कि युवाओं में अपनी परंपराओं के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना भी प्रबल होगी तथा यह साझा सांस्कृतिक संवाद देश की एकता और विविधता में अद्वितीय योगदान देगा। प्रदेश सरकार की यह पहल हिमाचल की सांस्कृतिक विविधता को सहेजने में मीलपत्थर साबित होगी।

माँ चिन्तपूर्णी देवी मंदिर के विकास कार्यों के लिए 56.26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांगड़ा लोक सभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को सदन में बताया की केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन ढांचा सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान स्वदेश दर्शन दो योजना के अन्तर्गत माँ चिन्तपूर्णी देवी मन्दिर के विकास कार्यो के विकास के लिए 56. 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। वर्ष 2024-25 के दौरान स्वदेश दर्शन दो योजना के अन्तर्गत चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के अन्तर्गत लाहौल स्पीति जिला के उपमण्डल काज़ा में पर्यटन ढांचा विकसित करने के लिए 24.82 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं जबकी रकछम छितकुल में पर्यटन ढांचा विकसित करने के लिए 4.96करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन ढांचा सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, पालमपुर, चम्बा हिमालयन सर्किट विकसित करने के लिए 68.34 करोड़ रूपये रूपये स्वीकृत किये हैं।

उन्होने धर्मशाला की डल झील में पिछले कुछ बरसों से पानी की लीकेज के बारे में बताया की यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है तथा केंद्रीय पर्यटन मन्त्रालय के पास अकेले जलाशयों में पानी की लीकेज, जलाशय संरक्षण आदि कार्यक्रमों को हैंडल करने की कोई योजना नहीं है।

राजेश धर्माणी ने हिमाचल में ड्रोन तकनीक पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी से भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को जानकारी दी कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यह तकनीक आपदा प्रबंधन, कृषि एवं बागवानी और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दे रही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल में ड्रोन तकनीक पर आधारित एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्तरोन्नयन, नए पाठयक्रमों, गुणवत्तापूर्ण उद्यमिता के लिए केंद्र की 60 हजार करोड़ रुपये की योजना में संबंधित राज्य सरकारों की एक तिहाई धन राशि के आवटन के नियम से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की वित्तीय बाध्यता को ध्यान में रखते हुए छूट प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (4.0) से प्रशिक्षण लक्ष्यों में लचीलापन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (4.0) से प्रदेश में उद्योग एवं अन्य उद्यमिता क्षेत्रों की मांग के अनुरूप कौशल बल तैयार करने के लिए प्रदेश के निजी प्रशिक्षण साझेदारों को इस योजना के तहत अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा।

धर्माणी ने केन्द्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री विश्व कर्मा योजना के तहत प्रदेश के ए-श्रेणी के आईटीआई और उत्कृष्ट व निजी संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने वोकेशनल पाठयक्रमों का प्रशिक्षण लेने वाले स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि भविष्य में बच्चों को विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए सहायता मिले।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा प्रायोजित सामुदायिक विकास पॉलिटेक्निक्स योजना के तहत चयनित प्रदेश के छः पॉलिटेक्निक्स को वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से योजना के तहत शीघ्र धनराशि जारी करने और वर्ष 2025-26 के लिए नए संस्थानों को चयनित करने का अनुरोध भी किया।

केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने राजेश धर्माणी को सभी महत्त्वपूर्ण मामलों में हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व के.के. पंत की अध्यक्षता में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं का पता लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम (एमएससीटी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के टीम लीडर कर्नल के पी सिंह, सदस्य डॉ. एस.के. नेगी, प्रो. अरूण कुमार, डॉ. नीलिमा सत्यम तथा डॉ. सुस्मिता जोसफ मौजूद रहे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एमएससीटी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां देश के अन्य राज्यों के तुलना में भिन्न हैं। इसके दृष्टिगत प्रदेश के लिए बहाली एवं पुनर्वास के कार्यो के लिए मानदंडों में बदलाव होना बेहद जरूरी है। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं से प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न कारणों का अध्ययन करने पर बल दिया।

के.के. पंत ने आपदा की दृष्टि से प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आपदा की संभावनाओं के दृष्टिगत अग्रिम भविष्यवाणी की तकनीक पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में आपदा के बाद की स्थितियों के साथ-साथ आपदा पूर्व स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का भी आहवान किया ताकि जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होने प्रदेश भर में सटीक डेटा एकत्रित करने के लिए सघन सेंसर लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश में वर्ष 2023 से घट रही बादल फटने की घटनाओं का व्यापक अध्ययन करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग से प्रदेश में बाढ़ पुर्वानुमान इकाई स्थापित करने, हाइड्रोलॉजिकल निगरानी बढ़ाने तथा ग्लेशियर झीलों का अध्ययन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डीजीआरई डीआरडीओ डॉ. नीरज तथा जीएसआई से अतुल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम ने डीजीआरई डीआरडीओ से उंचाई वाले क्षेत्रों से संबधित डेटा उपलब्ध करवाने तथा हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आने तथा भू-स्खलन जैसी प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं, ऐसे में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) से इस दिशा में भी कार्य करने पर बल दिया।

विशेष सचिव राजस्व (आपदा प्रबंधन) डी.सी. राणा ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक प्रदेश में 148 बादल फटने, 294 अचानक बाढ़ आने तथा भू-स्खलन की 5 हजार से अधिक की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जिला कुल्लू, लाहौल-स्पीति, किन्नौर तथा जिला मंडी प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं।

उन्होनें एमएससीटी टीम को अवगत करवाया कि प्रदेश में वर्ष 2023 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 10 हजार करोड़ रूपये का नुकसान आंका गया है। इसके अलावा प्रदेश को प्रति वर्ष एक से दो हजार करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदेश में अचानक बाढ़ आना, बादल फटना तथा भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है।

बैठक में बहु-क्षेत्रीय केंद्रीय टीम (एमएससीटी) के अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शिलाई व भरमौर विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता लिंग अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि: नंदिता गुप्ता

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने जानकारी दी है कि विभाग के विशेष प्रयासों से पिछले 45 दिनों में शिलाई और भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदाता लिंग अनुपात बढ़ा है। दोनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो में महिला मतदाता लिंग अनुपात में एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो इतने कम समय में पहली बार देखा गया है।

उन्होंने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों-2025 के अन्तिम प्रकाशन के बाद प्रदेश का महिला मतदाता लिंग अनुपात 981 था। प्रदेश के अन्य सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो में महिला लिंग अनुपात 900 से अधिक है जबकि राज्य स्तर पर 59-शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का लिंग अनुपात 820 के साथ सबसे कम और 02-भरमौर का 930 के साथ दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात रहा।

उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला का महिला लिंग अनुपात 921 था जबकि चंबा जिला का महिला लिंग अनुपात 974 था। महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे पंचायत सचिव द्वारा तैयार किये गए परिवार रजिस्टर के साथ मतदाता सूची का प्रति-परीक्षण आधार पर करके छूटे हुई पात्र महिला मतदाताओं की सूची सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं ताकि छूटी हुई मतदाताओं का पंजीकरण किया जा सके। यह प्रक्रिया शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आरम्भ की गई जिसमें परिवार रजिस्टर के साथ मतदाता सूची का प्रति-परीक्षण कार्य जून महीने में किया गया। छुटे हुए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। बी. एल.ओ ने उन मतदाताओ से भी टेलीफोन पर संपर्क किया जो शिक्षा और रोजगार के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर हैं। जिन मतदाताओं का नाम शिक्षा और रोजगार के स्थान पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नही था, उनसे आफनलाइन फार्म-6 भरने को कहा गया। उचित सत्यापन के बाद उन्हें निर्वाचक नामावली में शामिल किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी सन्दर्भ में उन्होंने स्वयं 04 व 05 जून, 2025 को शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और मौके पर उपस्थित सम्बन्धित अधिकारियों को महिला मतदाता लिंग अनुपात में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता लिंग अनुपात में सुधार के इस विशेष अभियान की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

नंदिता गुप्ता ने बताया कि इन सभी विशेष प्रयासों से पिछले 45 दिनों में शिलाई और भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में महिला मतदाता लिंग अनुपात बढ़ा है। इन दोनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो में महिला लिंग अनुपात में एक उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो इतने कम समय में पहली बार देखा गया है।

राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार, क्षतिग्रस्त दुकान अथवा ढाबे के लिए दी जा रही 10,000 रुपये की राशि को भी बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।

गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब 10,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये और किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये तथा मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 रुपये के बजाये 55,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बकरी, सूअर, भेड़ व मेमने के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।

पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा की गई है। फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में आई आपदा के कारण हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की। मंत्रिमंडल ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बहुमूल्य सहयोग देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, राज्य पुलिस, होम गार्ड्स, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में आपदा और उससे निपटने के उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजस्व मंत्री के साथ अभद्रता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर की घटना की कड़ी निंदा की। मंत्रिमंडल ने आमजन से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने की अपील की, ताकि प्रभावित परिवारों की सहायता की जा सके।

बैठक में 'राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना' को स्वीकृति दी, जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण से वनों के संरक्षण और विकास को सुदृढ़ करना है। यह योजना राज्य में पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये की लागत से लागू की जाएगी। इसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूहों को वनीकरण गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण पर प्रत्येक समूह को 1.20 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। यदि भूमि एक हेक्टेयर से कम है, तो सहायता आनुपातिक रूप से दी जाएगी। पौधों के जीवित रहने की दर के आधार पर अतिरिक्त 1.20 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई, ताकि चुनावों के दौरान आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नियम-9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है। नियम-27 और 28 में संशोधन कर प्रावधान जोड़ा गया है कि नियम-35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम-35(3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी। नियम-88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।

मंत्रिमंडल ने बीएससी लेबोरेटरी टैक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में जिला शिमला के रोहड़ू तहसील के मेंहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड के पक्ष में भूमि आवंटन करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने प्री-बीआईएस, बीएस-I और बीएस-II उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी है।

रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के अन्तर्गत पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

शिमला जिले में पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिगत जिला चंबा के अन्तर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुंता करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला शिमला में नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत के रूप में पुनवर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया और इसके अधिकार क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन में नई खोली गई उप-तहसील लौहारघाट का कार्यक्षेत्र उप-मंडल अर्की से हटाकर उप-मंडल नालागढ़ स्थानातंरित करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को भी मंजूरी दी गई। बशर्ते उनकी रिहाई के बाद आचरण संतोषजनक रहे। ऐसा निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल की सराहना की

शिमला/शैल। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 'मंथन बैठक' में हिमाचल प्रदेश चर्चा का केंद्र बना रहा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देशभर के राज्यों से सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नैचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे प्रयोग हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर हिमाचल के प्रयास पूरे देश के लिए मिसाल हैं।

हिमाचल में लाखों किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया है। हिमाचल की 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि, बागवानी व पशुपालन मुख्य आजीविका के साधन हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अब तक राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2.23 लाख से अधिक किसानों ने पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक-मुक्त खेती को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती से उपज होने वाली फसलों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 9.61 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहल के तहत, चंबा जिले के पांगी उप-मंडल को राज्य का पहला 'प्राकृतिक खेती उप-मंडल' घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धति को बचाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और जनजातीय क्षेत्रों में सतत् विकास को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में पांगी घाटी में लगभग 2,244 किसान परिवार रासायन-मुक्त खेती कर रहे हैं। सरकार कृषि, बागवानी के लिए इस्तेमाल होने वाली 2,920 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 100 प्रतिशत प्राकृतिक खेती की शुरूआत करने की योजना बना रही है। प्राकृतिक खेती उपज की बिक्री के लिए 10 मंडियों में विशेष स्थान और आवश्यक ढांचा विकसित किया जा रहा है।

प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुल 27.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

राज्य सरकार ने हमीरपुर जिले में एक स्पाइस पार्क (मसाला प्रसंस्करण केंद्र) स्थापित करने का निर्णय भी लिया है, जिससे क्षेत्र में उगाए जाने वाले मसालों को नई पहचान और बेहतर बाजार मिलेगा।

प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सरकार कई प्रकार की सब्सिडी भी दे रही है, जैसे ड्रम की खरीद पर प्रति ड्रम 750 रुपये (अधिकतम 2,250 रुपये), गौशाला में पक्का फर्श और गोमूत्र गड्ढा बनाने के लिए 8,000 रुपये, देशी गाय खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 25,000 रुपये तक उपदान और परिवहन के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवा से संबंधित विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय मंत्री से विभिन्न मामलों पर चर्चा की थी।

पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के लिए राज्य सरकार लगभग 150 हैक्टयेर भूमि अधिगृहित करेगी और सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत 1900 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा 410 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की वैधानिक अवधि इस वर्ष अगस्त में समाप्त हो रही है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस परियोजना को विशेष आर्थिक सहायता के लिए वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुशंसित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि मैसर्ज वैपकोर्स लिमिटेड द्वारा तैयार टैक्नो इकोनोमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की समीक्षा भी भारतीय विमान पतन द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इसमें वास्तविक लागत का आकलन अधिक है। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तार के संबंध में एएआई, हिमाचल प्रदेश सरकार और निजी भागीदारी से त्रिपक्षीय समझौते की संभावना तलाशने का भी अनुरोध किया। वर्तमान में कांगड़ा हवाई अड्डे का संचालन विजुअल फ्लाइट रूल्स (वीएफआर) के तहत होता है जिसके लिए उड़ान संचालन के लिए न्यूनतम दृश्यता पांच किलोमीटर होनी चाहिए। उन्होंने कम दृश्यता की स्थिति में हवाई उड़ानों का सुरक्षित संचालन करने के लिए न्यूनतम दृश्यता मापदंड को वर्तमान पांच किलोमीटर से घटाकर 2.5 किलोमीटर करने के लिए विशेष वीएफआर का प्रावधान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट हिमाचल का सबसे बड़ा और व्यस्त हवाई अड्डा है इसलिए यहां नाईट लेंडिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कुल्लू और शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा, कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर करवाने के लिए सीआईएसएफ के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस की तैनाती की भी मांग की। उन्होंने शिमला एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन का समय दोपहर एक बजे से बढ़ाकर सायं 4 बजे तक करने का आग्रह किया ताकि उड़ानों के संचालन के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला एयरपोर्ट पर दूसरा एप्रेन बनाने का आग्रह किया, जो एटीआर 42/600 प्रकार के विमानों को संचालित करने के लिए उपयुक्त होगा। इससे शिमला एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने और मल्टीपल फ्लाईट्स के संचालन में मदद मिलेगी। उन्होंने शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर एलायंस एयर लिमिटेड की दैनिक उड़ानों को फिर से आरम्भ करने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने संजौली, रामपुर, बद्दी और कंगनीधार हैलीपोर्ट को अक्तूबर, 2025 तक संचालित करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आरसीएस-उड़ान योजना चरण-2 के अंतर्गत राज्य में चार नए हैलीपोर्ट को स्वीकृति दी जाएगी, जिनमें हमीरपुर जिला के जसकोट, कांगड़ा के देहरा, ऊना और बिलासपुर जिला में एक-एक हैलीपोर्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि मैसर्ज हैरीटेज एवीएशन, मैसर्ज ग्लोबल वेक्टरा और मैसर्ज पवन हंस लिमिटेड जैसे एयर ऑपरेटरों को राज्य में आरसीएस-उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे।

सिराज में पुल निर्माण के लिए 23.64 करोड़ रूपये स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने राज्य सभा में बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना तीन के अन्तर्गत सिराज खण्ड में हाल की भारी बाढ़ से बह गए पुल के निर्माण के लिए 23.64 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं।

उन्होंने बताया की प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना तीन के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 3,123.117 किलोमीटर लम्बी 299 सड़क योजनाओं और 43 पुल निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गए हैं जिसमे से राज्य में 1,023.734 किलो मीटर लम्बी सड़कों और एक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

उन्होंने बताया की प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों और पुलों के रख रखाब आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना तीन के अन्तर्गत पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना तीन के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मार्ग रेखा के अनुरूप की जाती है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

थुनाग में हुई घटना भाजपा का षडयंत्र:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में थुनाग में हुई घटना को भाजपा का षडयंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय ध्वज लगे सरकारी वाहन पर काले कपड़े, जूते-चप्पल फैंके गये जोकि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि उनकी गाड़ी पर पथराव और पुलिस से हाथापाई भी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राहत कार्यों में बाधा पहुंचाने और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यह ड्रामा किया। उन्होंने कहा इस घटना में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि थुनाग में स्थानीय प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट कर औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग को शिफ्ट न करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि महाविद्यालय को शिफ्ट करने से उनकी आजीविका और कारोबार प्रभावित होगा।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर महाविद्यालय को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। आपदा से बने हालातों के मद्देनजर औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग में विद्यार्थियों की कक्षाएं जारी रखना संभव नहीं है। महाविद्यालय में लगभग 300 छात्र- छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भी विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भेंट कर आप बीती सुनाई है और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। यह वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा कि अगले दिन थुनाग में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान थुनाग रेस्ट हाउस में 70-80 लोग एकत्रित हो गए और उनसे जबरदस्ती औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग को शिफ्ट न करवाने की घोषणा करने का दबाव डालने लगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि उनके ज्ञापन पर विचार करने का आश्वासन भी दिया लेकिन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

बैठक के बाद जब वे चलने लगे तो राष्ट्रीय ध्वज लगी उनकी गाड़ी को महिलाओं, भाजपा पदाधिकारियों और व्यापारियों ने चारों तरफ से घेर लिया और काले कपड़े, जूते चप्पल फैंके गये।

उन्होंने कहा कि थुनाग में विद्यार्थी किराए के कमरों में रह रहे थे और उनसे भारी भरकम किराया लिया जा रहा था। सराज में ऐसा कोई भवन नहीं था जहां औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की कक्षाएं चलाई जा सकें।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार भाजपा के चंद ठेकेदारों के लिए विद्यार्थियों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डालेगी।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है थुनाग में ज्यादातर मकान अतिक्रमण कर बनाये गये हैं।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार ने 25-25 कमरों के रेस्ट हाउस और 17 हेलीपैड बना दिये, अगर औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाया होता तो आज महाविद्यालय को संदुरनगर शिफ्ट करने की नौबत नहीं आती।

उन्होंने कहा कि एक फॉर्मेसी कॉलेज दो नालों के बीच बना दिया गया है। बिना किसी योजना के करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

उन्होंने कहा कि जंजैहली में 32 करोड़ का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और बाद में इसे भी क्लब महिंद्रा को दे दिया गया।

जगत सिंह नेगी ने आपदा में खुलकर दान व मदद करने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त किया।

राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा दान में मिली धनराशि, राशन और अन्य सामग्री की सूची जारी करे कि किस परिवार को कितना राशन और धनराशि दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी सूची के साथ भाजपा की सूची का मिलान किया जायेगा ताकि किसी भी आपदा प्रभावित परिवार के साथ भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश कंगाली के कगार पर पहुंचा है।

उन्होंने कहा के वे स्थानीय लोगों से मिले। बहुत से परिवारों के बागीचे और भूमि पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों को आपदा प्रभावितों की पूरी सूची बताई गई और जो पात्र छूट गये हैं इसके लिए प्रशासन को फील्ड में जाकर रिपोर्ट तैयार करने के दिशा-निर्देश दिए गए।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि डेजी गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां लोगों को विश्वास में लेकर सड़क निर्माण शुरू करवा दिया गया है। लोगों के घर सुरक्षित रहें इसके लिए वहां रिटेनिंग वॉल भी लगाई जाएगी। उन्होंने मौके पर लोक निर्माण विभाग को राहत कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सराज में 60 मशीनें फील्ड में लगाई गई हैं लेकिन जयराम ठाकुर गलत और झूठा प्रचार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू वर्ष 2023 की तर्ज पर राहत पैकेज लाकर आपदा प्रभावित परिवारों को फिर से बसाएंगे।

भाजपा का यह आचरण मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध:मुख्यमंत्री

आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी का दौरा करने पहुंचे राजस्व एवं बाग़वानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने साज़िशन विरोध कर न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाने के कार्य में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की।

भाजपा नहीं चाहती कि आपदा-प्रभावित परिवारों को राहत और सहायता मिले। जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, यदि उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके पुनर्वास के कार्यों में बाधा न बनें। भाजपा का यह आचरण मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है।

राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी। राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है, इसमें राजनीतिक रोटियां सेंकना एवं हिंसक प्रदर्शन करके बाधा डालना पूरी तरीके से संवेदनहीनता है।

देशराज की जमानत

....पृष्ठ 8 का शेष

सचिव गृह की रिपोर्ट में इंजीनियर सुनील ग्रोवर का वह शपथ पत्र भी दर्ज है जिसमें पावर परियोजनाओं में फैले भ्रष्टाचार का भी पूरा खुलासा है। क्योंकि यह सामान्य समझ की बात है कि सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार के कारण ही व्यवहार में बदलाव आता है और इस प्रकरण में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की शंकाएं स्वत: ही सामने आ गयी हैं।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर

1. In the larger interest of justice, we feel that the CBI as well as the complainant should also be made parties.
2. As Mr. S.D. Sanjay, learned ASG has already appeared for the CBI and Mr. Rana Ranjit Singh, learned counsel has appeared for the complainant, no notice be issued to them. However, we mark the presence of learned ASG for the State of Himachal Pradesh.
3. Accordingly, let corrected memo of parties be filed by learned counsel for the petitioner within a period of one week.
4. Learned counsel for the respondents especially, the newly added ones, are free to file their counter affidavit.
5. List on 21.08.2025.
6. We clarify our previous interim order that the petitioner shall cooperate in the investigation in the meantime.

क्या हिमाचल कांग्रेस

.....पृष्ठ 8 का शेष

उपस्थिति से प्रमाणित हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का फील्ड में क्या हाल है यह जनता के बीच जाने से पता चलता है। आज सरकार की हालत यह हो गयी है कि कर्ज आधारित योजनाओं के अतिरिक्त और कोई काम नहीं चल रहा है। आज कर्ज और करों का निवेश उन योजनाओं पर हो रहा है जिनके परिणाम वर्षों बाद आने हैं। फिर इस कर्ज में भी किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा पूर्व मंत्री धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के ब्यान से हो जाता है।

आज कांग्रेस की सरकारें केवल तीन राज्यों हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में ही रह गयी हैं। कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का आकलन यहां की सरकारों की परफारमेन्स के आधार पर होगा। इस समय कांग्रेस नेतृत्व बिहार में चुनाव आयोग से लड़ रहा है। यदि इस लड़ाई में हिमाचल की देहरा विधानसभा के उप-चुनाव में जो कुछ कांग्रेस शासन में घटा है उसका जिक्र उठा दिया गया तो यह सारी लड़ाई कुन्द होकर रह जाएगी। यह दूसरी बात है कि इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस और भाजपा में आपसी सहमति चल रही है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार हर रोज जनाक्रोश से घिरती जा रही है उसमें संगठन का आधिकारिक तौर पर नदारद रहना क्या संकेत और संदेश देता है इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्षा स्वयं कई बार यह आग्रह हाईकमान से कर चुकी है की कार्यकारिणी का गठन शीघ्र किया जाये। परन्तु यह आग्रह जब अनसुने हो गये हों तो यही कहना पड़ेगा कि शायद कांग्रेस हाईकमान की सूची से हिमाचल को निकाल ही दिया गया है। क्या हाईकमान के प्रतिनिधि प्रदेश प्रभारीयों ने भी इस और आंखें और कान बंद कर रखे हैं। या आज यह स्थिति आ गयी है कि प्रदेश में कोई भी संगठन की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है।